

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ.1094(अ) जो 16 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण की अवधि को 15 जुलाई, 2014 तक बढ़ाया गया है।
- (दो) का.आ.1244(अ) जो 9 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ.1622(अ) जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बने लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।
- (चार) का.आ.3252(अ) जो 22 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीआरजेड अधिसूचना 2011 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का.आ.2082(अ) जो 30 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ.934(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) का.आ.2266(अ) जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य सचिव से मिलकर बने अंडमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।
- (सात) का.आ.2569(अ) जो 18 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पश्चिम बंगाल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ.1421(अ) जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ.2060(अ) जो 10 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, केरल प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ.3324(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ.1154(अ) जो 18 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ.1212(अ) जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (तेरह) का.आ.1213(अ) जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौदह) का.आ.4097(अ) जो 20 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, दमन और दीव तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ.4162(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सोलह) का.आ.621(अ) जो 23 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्रह) का.आ.622(अ) जो 23 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठारह) का.आ.679(अ) जो 1 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (उन्नीस) का.आ.1393(अ) जो 3 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बीस) का.आ.2444(अ) जो 2 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का.आ.2445(अ) जो 2 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) सा.का.नि.1227(अ) जो 9 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेईस) का.आ.274(अ) जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।
- (चौबीस) का.आ.1002(अ) जो 6 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का.आ.3197(अ) जो 2 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छब्बीस) का.आ.3303(अ) जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, तमिलनाडु तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (सत्ताईस) का.आ.3312(अ) जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (अट्ठाईस) का.आ.3546(अ) जो 20 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, ओडिशा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष

की अवधि के लिए किया गया है।

- (उनतीस) का.आ.3840(अ) जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीस) का.आ.4290(अ) जो 5 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.3303(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इकतीस) का.आ.5096(अ) जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पुदुचेरी तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (बत्तीस) का.आ.5953(अ) जो 3 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पश्चिम बंगाल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (तैंतीस) का.आ.4137(अ) जो 18 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (चौतीस) का.आ.4620(अ) जो 26 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ.3975(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पैंतीस) का.आ.5188(अ) जो 14 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (छत्तीस) का.आ.5119(अ) जो 3 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मई, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.1423(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सैंतीस) का.आ.6071(अ) जो 27 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (अड़तीस) का.आ.5097(अ) जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, अंडमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (उनतालीस) का.आ.4566(अ) जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ.5188(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चालीस) का.आ.803(अ) जो 14 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जून, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ.2060(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10075/17/23]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 10076/17/23]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) का.आ. 3684(अ) जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अगस्त, 2013 के 17वें दिन को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिस तारीख को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 प्रवृत्त होगा।
[Placed in Library, See No. LT 10077/17/23]
- (2) का.आ. 3685(अ) जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अगस्त, 2013 के 17वें दिन को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिस तारीख को अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 प्रवृत्त होगा।
[Placed in Library, See No. LT 10078/17/23]
- (3) सा.का.नि. 642(अ) जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. एम.वि-16/15/2021-खान VI, दिनांक 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी ? प्रत्यायित प्राइवेट अन्वेषण अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत? के अनुसार मेसर्स एंजीओटेक कंसल्टेंट को ?प्रवर्ग क अन्वेषण अभिकरणों? के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
[Placed in Library, See No. LT 10079/17/23]
- (4) का.आ.3890(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.860(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
[Placed in Library, See No. LT 10080/17/23]
- (5) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2023 जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 648(अ) में प्रकाशित हुए थे।
[Placed in Library, See No. LT 10081/17/23]
- (6) सा.का.नि. 669(अ) जो 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. एम.वि-16/15/2021-खान VI, दिनांक 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी किए गए ?प्रत्यायित प्राइवेट अन्वेषण अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत? के अनुसार मेसर्स कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एण्ड माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ?प्रवर्ग क अन्वेषण अभिकरणों? के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
[Placed in Library, See No. LT 10082/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सा.का.नि. 612(अ) जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) का.आ. 3683(अ) जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय मेसर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पक्ष में जारी कारण बताओ नोटिस के

संबंध में सामान्य न्यायनिर्णयन प्राधिकरण नियुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सा.का.नि. 624(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 625(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 24 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 385(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 626(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 508(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 627(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10083/17/23]

- (2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ.3419(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) अधिसूचना सं. 57/2023- सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 3 अगस्त, 2023 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय दर में संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ.3640(अ) जो 14 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) अधिसूचना सं. 61/2023- सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 17 अगस्त, 2023 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय दर में संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) अधिसूचना सं. 62/2023- सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 25 अगस्त, 2023 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय दर में संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ.3851(अ) जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) अधिसूचना सं. 64/2023- सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 6 सितम्बर, 2023 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय दर में संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) अधिसूचना सं. एफ.सं. 461/07/2023-सीयूएस V दिनांक 28 अगस्त, 2023 जिसके द्वारा सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम पर पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपकरणों के आयात के लिए तदर्थ छूट को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) अधिसूचना सं. एफ.सं. 460/01/2023-सीयूएस V दिनांक 29 अगस्त, 2023 जिसके द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारत में स्कूलों के बीच वितरण के लिए 1.15 मिलियन फुटबॉल के आयात के लिए तदर्थ छूट के अनुरोध को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- [Placed in Library, See No. LT 10084/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. C2/8(1)/2021-QoS. in Gazette of India dated 12th September, 2023 under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

[Placed in Library, See No. LT 10085/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table: -

- (1) A copy of the National Commission for Allied and Healthcare Professions 5th (Removal of Difficulties) Order, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.2232(E) in Gazette of India dated 19th May, 2023, under sub-section (2) of Section 69 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
[Placed in Library, See No. LT 10086/17/23]
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Jammu, for the years 2019-2020 and 2020-2021.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Jammu, for the years 2019-2020 and 2020-2021.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 10087/17/23]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All- India Institute of Medical Sciences, Jammu, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All-India Institute of Medical Sciences, Jammu, for the year 2021-2022.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 10088/17/23]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Deoghar, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Deoghar, for the year 2021-2022.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 10089/17/23]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysuru, for the year 2021- 2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysuru, for the year 2021-2022.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 10090/17/23]

- (11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (3) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947:-
- (i) The Indian Nursing Council (Diploma in Public Health Nursing), Regulations, 2020 published in Notification No. F.No. 11-1/2019-INC in Gazette of India dated 10th October, 2022.
- (ii) The Indian Nursing Council (Post Basic Diploma in Ayurveda Nursing ? Residency Program) Regulations, 2022 published in Notification No. F.No.

11-1/2022-INC in Gazette of India dated 23rd February, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10091/17/23]

-

11.16 hrs